(2)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी
पीठासीन अधिकारी—मीनू वर्मा आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धारा—88,53 आरटीए
प्रकरण संख्या—22/2019

1. लतीफ अली पुत्र शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. शेर मोहम्मद पुत्र फरजन्द अली उर्फ फरजाद अली जाति मुसलमान निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. अल्ताफ अली पुत्र शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. गुलक्शा } पुत्रियॉन शेरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी
4. रफियां } जिला हनुमानगढ।
5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी। प्रतिवादीगण

उपस्थित—श्री अब्दुल सत्तार जोईया अधिवक्ता वादी
श्री हरबंशसिह अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :— 3-9-19

वादी लतीफ अली ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा व खाता विभाजन के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि अन्य चक की आराजी के साथ साथ चक 14 एनजीसी पटवार हल्का चन्दूरवाली के प0न0 205/264 मु0 23 किलानं0 10/1/.202, प0न0 204/264 मु0 24 किलानं0 4,5,6,7,14,15,16,17,24,25, प0न0 204/265 मु0 29 किलानं0 4,5, प0न0 205/265 मु0 30 किलानं0 1,2, 8/.089, 9/.089, 10/.126 कुल 4.0480 मय गै0मु0 दर्ज कागजात माल है।

वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है जो प्रतिवादी को अपने पिता फरजन्द अली उर्फ फरजाद अली से प्राप्त हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होने के कारण वादी का प्रतिवादी शेर मोहम्मद के नाम से दर्ज आराजी में जन्म से हक व हिस्सा बनता है। प्रतिवादी शेर मोहम्मद ने मुझ वादी के हक व हिस्सा को स्वीकार करते हुए कुछ अरसा पूर्व पारस्परिक सहमति व पारिवारिक समझौता के दौरान वादपत्र की दफा 3 के अनुसार आराजी वादी को बटवारा मे दी थी जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा उपरोक्त वर्णित आराजी का आबियाना व रकम राज वादी ही खजाना राज में जमा करवाता चला आ रहा है लेकिन कागजात माल में समस्त आराजी आज नं प्रतिवादी शेरमोहम्मद के नाम से दर्ज है जिससे मुझ वादी के हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है इसलिए वादी वादपत्र की दफा 3 के अनुसार आराजी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से अंकन करवाकर खाता अलग से कायम करवाकर रकम राज पृथक से कायम करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने व खाता अलग से कायम करवाकर रकम राज अलग कायम करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण मुझ वादी के निवेदन को मानने कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपना राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया कि हम पक्षकारान का आपस मे राजीनामा हो गया है। हम पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है। वादपत्र की दफा 2

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner

मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है। वादपत्र की दफा 3 क अनुसार आराजी वादी को बटवारां कर दी हुई है जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाता चला आ रहा है। इसलिए वादपत्र की दफा 3 के अनुसार आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी की आराजी का खाता अलग से कायम किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा कम किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। हम पक्षकारान राजीनामा से सहमत है। राजीनामा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियॉ पेश की गई जो बाद तस्दीक राजीनामा शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी स्टेट द्वारा अपना जबाबदावा पेश किया गया जो शामिल किया गया।

वादी द्वारा साक्ष्य के रुप में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया व पैतृक सम्पति के सबूत के लिए चकनं0 14 जीजीआर की जमाबन्दी संवत 2066 ता 69 खाता सं0 43/42 व खाता सं0 44/43 पेश की गई, शामिल पत्रावली किये गये।

वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के सदस्य है।वाद में राजीनामा पेश होने के कारण मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वादी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया गया कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है व वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज भूमि पैतृक सम्पति है,पैतृक सम्पति के सबूत के लिए वादी द्वारा चकनं0 14 जीजीआर की जमाबन्दी संवत 2066 ता 69 खाता सं0 43/42 व खाता सं0 44/43 पेश की गई है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया गया है। वादी का वाद पूर्णतया साबित है। मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई।प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी व पैतृक सम्पति बाबत प्रस्तुत जमाबन्दीयों का गहराई से अध्ययन किया गया।राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादीसं0 1 के नाम से दर्ज है। पत्रावली में वादी द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दीयॉ प्रस्तुत किये गये उन दस्तावेजो के आधार पर पैतृक सम्पति होना साबित है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद का कोई विरोध नही किया गया है व मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक राजीनामा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादी साबित करने में सफल रहा है। वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादीसं0 1 के नाम से दर्ज चक 14 एनजीसी पटवार हल्का चन्दूरवाली के खातासं0 69/43,44 में अंकित कुल 4.0480 मय गै0मु0 मे से चक 14 एनजीसी के प0न0 204/264 मु0 24 किलानं0 14,15,16,17,24,25, प0न0 204/265 मु0 29 किलानं0 4,5 की कुल 2.024 है0 मय गै0मु0 आराजी का वादी लतीफ अली को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी की भूमि का खाता पृथक से कायम कर रकम राज अलग करने व उपरोक्त खाता में से प्रतिवादीसं0 1 शेर मोहम्द का हिस्सा कम करने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 3-9-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned with CamScanner

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 22/2019

1. लतीफ अली पुत्र शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. शेर मोहम्मद पुत्र फरजन्द अली उर्फ फरजाद अली जाति मुसलमान निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. अल्ताफ अली पुत्र शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. गुलक्शा } पुत्रियॉन शेरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी
4. रफियां } जिला हनुमानगढ।
5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री अब्दुल सत्तार जोईया वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री हरबंशसिह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है किप्रतिवादीसं0 1 के नाम से दर्ज चक 14 एनजीसी पटवार हल्का चन्दूरवाली के खातासं0 69/43,44 में अंकित कुल 4.0480 मय गै0मु0 मे से चक 14 एनजीसी के प0न0 204/264 मु0 24 किलानं0 14,15,16,17,24,25, प0न0 204/265 मु0 29 किलानं0 4,5 की कुल 2.024 है0 मय गै0मु0 आराजी का वादी लतीफ अली को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी की भूमि का खाता पृथक से कायम कर रकम राज अलग करने व उपरोक्त खाता में से प्रतिवादीसं0 1 शेर मोहम्द का हिस्सा कम करने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 3-9-19 को जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned with CamScanner